



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15268 वर्ष 2026

श्रीमती विनीता

..आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: आशीष गोयल

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: जी.ए.

#### न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. यह जमानत याचिका एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22/29/60 के तहत मामला अपराध संख्या 106/2026, पुलिस स्टेशन रिफाइनरी, जिला मथुरा में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोप है कि आवेदक सह-आरोपी विजय सिंह और आशीष सिंह के साथ कार में यात्रा कर रही थी। आवेदक की तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। आरोप है कि आरोपियों के कब्जे से 151 ग्राम मिथाइलेनेडियोक्सीमैथैम्फेटामाइन (एमडीएमए) बरामद हुई। आवेदक कार की मालिक नहीं है और उसे कार में मौजूद नशीले पदार्थों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का इकबालिया बयान दर्ज किया गया था, जो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के लिए मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर सवाल उठाते हुए अन्य तर्क भी दिए गए हैं। आगे यह तर्क दिया गया है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः और भावना से पालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी वैधता दूषित हो जाती है। वकील ने आवेदक को झूठे आरोप में फंसाए जाने के प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अभियुक्त की ओर से दी गई दलीलों के दौरान अभियोजन के पीछे दुर्भावना का भी आरोप लगाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक 11.4.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध कर दिया है।

6. अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक श्रीमती विनीता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह) 25

जून, 2026  
ललित शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"